मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती अमिता बिश्नोई आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :–063 / 2024

1. महेन्द्र सिंह पुत्र शिवप्रकाश जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अर्जुन खिलेरी पुत्र सत्यनारायण जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

–:: बनाम ::–

1. शिवप्रकाश पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सत्यनारायण पुत्र जगमाल जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अनिल कुमार पुत्र शिवप्रकाश जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रचना पुत्री सत्यनारायण जाति जाट साकिन निहालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत् घोषणा

–:निर्णय:–

दिनांक :–23/05/24

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 9 एनएसडब्लयू के खाता सं. 78 के प.नं. 33 / 343 की कुल 6.325 हैक. कमाण्ड म.गै.मु. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 2344 / 6325 हिस्सा मे से 1.265 हैक. कृषि भूमि का वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 2 के 213 / 575 हिस्सा मे से 1.078 हैक. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य [illegible] न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना न होने तथा किसी प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा / स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.29 10:50:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23/05/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.29 10:50:01 IST
Reason: SelfAttested